मुकुल गोयल
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-26/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: अगस्त 13, 2021

विषय:- बैंक खातों से संबंधित ऑनलाइन साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 155260 व यूपी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 का प्रचार-प्रसार करने विषयक।

प्रिय महोदय,

वर्तमान में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ा है साइबर अपराधियों द्वारा सुदूर स्थानों पर बैठकर आम जनमानस को फोन कॉल या ऑनलाइन सर्विस देने के माध्यम से उनके खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी प्राप्त कर धोखाधड़ी कर उनके खातों से रुपयों को ऑनलाइन दूसरे खातों में स्थानांतरित कर अपराध किया जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) ने हेल्पलाइन नम्बर 155260 के माध्यम से एकीकृत मंच प्रदान किया है जहाँ सभी सम्बन्धित हितधारक जैसे Law & Enforcement Agencies ,Bank, E-Wallet कम्पनियाँ आदि मिलकर काम करते हैं यह पूरा पोर्टल बैंकिंग प्रणाली को धोखेबाजों के खातें में धन के प्रवाह को अवरुद्ध करने में सक्षम है और उचित कानूनी प्रकिया के बाद न केवल पीडित का पैसा वापस किया जा सकता है अपितु अपराध कर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। इस हेल्पलाइन नंबर पर साइबर ठगी से पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत फोन कॉल के माध्यम से दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड से संबंधित मामलों में यथाशीघ्र पीड़ित व्यक्ति को उक्त हेल्पलाइन नंबर 155260 या 112 पर कम्पलेन करनी है। कम्पलेन आने पर सुनवाई अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता का नाम ,मोबाइल नम्बर,बैंक /वालेट/मर्चेन्ट का नाम जिस खाते से रुपये डेविट हुए हैं, ट्रान्जेक्शन आईडी, ट्रान्जेक्शन दिनांक, डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का विवरण, शिकायतकर्ता की ई-मेल आईडी , जिस बैंक खाते /वालेट/UPI ID से गया है सम्बन्धित फ्राड ट्रान्जेक्शन डिटेल का स्क्रीन शॉट आदि के माध्यम से रुपये स्थानान्तरित हुए हो या प्राप्त हुए हो आदि की जानकारी ली जायेगी। तत्पश्चात उक्त हेल्पलाइन नम्बर से सम्बन्धित मंच पर लिया गया सम्पूर्ण विवरण बैंको आदि से साझा कर त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधियों के बैंक खातों में आई हुई पीड़ित की धनराशि को फ्रीज कर दिया जाता है। इस प्रकार पीड़ित को त्वरित सहायता प्राप्त हो जाती है और उसको

आर्थिक क्षति से बचाया जा सकता है | विदित हो कि उक्त हेल्पलाइन नंबर के विषय में आम जनमानस को पर्याप्त जानकारी नहीं है |

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि थानें व साइबर सेल पर आने वाले साइबर अपराध से पीडित व्यक्ति की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 155260 व 112 पर भी अविलम्ब दर्ज कराये तथा NCCRP PORTAL पर यथाशीघ्र लेनदेन/साइबर वित्तीय धोखा-धडी से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण दर्ज करनें हेतु हिदायत करें। साइबर वित्तीय अपराधों की रोकथाम हेतु प्रारम्भ किये गये हेल्पलाइन नम्बर 155260 व 112 का आम जनमानस में विभिन्न माध्यमों बैनर/पोस्टर/फ्लैक्सी ,ग्राम/मोहल्ला/ब्लाक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर , सोशल साइट्स व तकनीकी माध्यमों से एवं सेमीनार कार्यशाला आयोजित कर अधिक से अधिक प्रचार कराएँ। प्रत्येक थानों में उक्त हेल्पलाइन नंबर के बारे में सुस्पष्ट एवं दर्शनीय स्थान पर फ्लैक्सी लगवायी जाए, जिससे साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को शीघ्र अति शीघ्र सहायता प्राप्त हो सके | उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(मुकुल गोयल)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।